विस्तृत विज्ञापन

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांकः संयुक्त विज्ञापन सं.:– 01/भर्ती/2014–15 **दिनांक : 15.07.2014**

आयोग द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए निम्नलिखित पदों हेतु **ऑनलाइन आवेदन** आमंत्रित किए जाते हैं–

विभिन्न विषयों में सहायक आचार्य/वरिष्ठ प्रदर्शक/बायोकेमिस्ट के पदों की राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेजिएट ब्रांच) नियम 1962 के अन्तर्गत भर्ती। पद स्थाई/अस्थाई – स्थाई होने की संभावना। कुल रिक्त पदों की संख्या निम्नानुसार हैः– (पदों में कमी/वृद्धि की जा सकती है)

पद क्र.स.	पद /विषय का नाम	रिक्त पदों की संख्या	शैक्षणिक योग्यताएँ
1	Assistant Professor Endocrionology	2	DM (Endocrionology)/ M.D. (Medicine) or M.D. (Paediatrics) with two years Special Training in Endocrionology. (i) Requisite recognized specialisation qualification in the Subject. (ii)Three years teaching experience in Endocrinology in a recognised medical college as Resident/Registrar/ Demonstrator/Tutor.
2	Assistant Professor Physical Medicine and Rehabilitation	12	MD (PMR)/MD (Medicine) with Diploma in PMR/M.S. (General Surgery)/M.S. (Orthopaedics) with two years special training in the specialty of Physical Medicine & Rehabilitation (Rehabilitation Medicine) or two years of equivalent training approved in the subject in any approved institution in India. (i) Requisite recognized post graduate qualification in the Subject. (ii) Three years teaching experience in the Subject in a recognised medical college as Resident/ Registrar/ Demonstrator/Tutor.
3	Assistant Professor Pathology	11	MD (Pathology)/Ph.D. (Pathology)/D.Sc. (Pathology) (i) Requisite recognized post graduate qualification in the Subject. (ii) Three years teaching experience in the Subject in a recognised medical college as Resident/ Registrar/ Demonstrator/Tutor.
4	Assistant Professor Biochemistry	10	M.D. (Biochemistry)/MBBS with M.Sc. (Med. Biochemistry). M.Sc. (Med. Biochemistry) with Ph.D. (Med. Biochemistry)/M.Sc. (Med. Biochemistry) with D.Sc. (Med. Biochemistry). (i) Requisite recognized post graduate qualification in the Subject. (ii) Three years teaching experience in the Subject in a recognised medical college as Resident/ Registrar/ Demonstrator/Tutor.
5	Assistant Professor Opthalmology	8	M.S. (Opthalmology)/M.D. (Opthalmology). (i) Requisite recognized post graduate qualification in the Subject. (ii) Three years teaching experience in the Subject in a recognised medical college as Resident/ Registrar/ Demonstrator/Tutor.
6	Assistant Professor General Surgery	12	M.S. (Surgery)/M.S. (General Surgery). (i) Requisite recognized post graduate qualification in the Subject. (ii) Three years teaching experience in the Subject in a recognised medical college as Resident/ Registrar/ Demonstrator/Tutor.
7	Assistant Professor Oto-Rhino-Laryngology	7	M.S. (Oto-Rhino-Laryngology). (i) Requisite recognized post graduate qualification in the Subject. (ii) Three years teaching experience in the Subject in a recognised medical college as Resident/ Registrar/ Demonstrator/Tutor.
8	Senior Demonstrator Pathology	113	MBBS
9	Senior Demonstrator Biochemistry	57	MBBS/M.Sc. (Medical Biochemistry) for non medical persons.
10	Biochemist	26	M.Sc. (Medical) in Biochemistry

पद क्रम संख्या 1 से 7 तक के पदों की योग्यता के संबंध में आवश्यक नोट :–

आवेदकों को संबंधित विषय में मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया से मान्य अपेक्षित स्नातकोत्तर/विशेषज्ञता में योग्यताएं अथवा राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त स्नातकोत्तर/विशेषज्ञता में योग्यताएं प्राप्त होनी चाहिए। अभ्यर्थी को राज्य/केन्द्र के मेडीकल रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड भी होना चाहिए।

पद क्रम संख्या 1 से 7 तक के पदों हेतु उनके सम्मुख अंकित योग्यता के अतिरिक्त निम्नलिखित योग्यता भी मान्य होगी।

1- The Diplomat National Board (DNB) Qualification shall be treated as equivalent to M.D./M.S., D.M. and M.Ch. Qualifications of the respective Speciality or Superspeciality, as the case may be for all purposes including appointment to the teaching post in the medical institution.

2- The teaching experience gained while pursuing DNB Courses shall be treated as teaching experience for appointment to the teaching post in the medical institutions.

3- For the candidates possessing DNB Qualifications from centers other than of MCI recognized medical colleges/central institute:-

"Three years teaching experience in the subject either during the DNB course or after possessing DNB Qualification. The concerned candidate would require two years additional teaching experience as Sr. Resident / Research Associate (CSIR) in a MCI recognized medical college/central institute."

रनिंग पे–बैण्ड	**पद क्रम संख्या 1 से 7 तक के लिए – रनिंग पे–बेण्ड–3ए(15600–39100) ग्रेड पे रू. 6600/–** **पद क्रम संख्या 8 से 10 तक के लिए – रनिंग पे–बेण्ड–3(15600–39100) ग्रेड पे रू. 5400/–**
आयु सीमा	**दिनांक 01.01.2015 को अधिकतम 37 वर्ष से कम ,सिवाय डी.एम./एम.सीएच. न्यूनतम अर्हता अपेक्षित करने वाले पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष होगी।**

आयु सीमा में छूट के प्रावधान

क्र.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग		अधिकतम आयु में देय छूट (वर्षो में)
1	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरूष		5
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला		10
3.	सामान्य वर्ग की महिला		5
4.	विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला		अधिकतम आयु सीमा नहीं
5.	निःशक्तजन	सामान्य	10
		पिछड़ा/विशेष पिछड़ा वर्ग	13
		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	15
	नोट :– राजस्थान निःशक्तजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियम 39 में प्रावधान इस प्रकार है–"Provided that in cases of exceptional hardship the State Government may further relax the age limit."		

अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान

1	इस सेवा के किसी पद पर **अस्थाई नियुक्त व्यक्ति** यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे।
2	**एन.सी.सी के कैडिट प्रशिक्षकों** के मामले में उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जायेगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जायेगा।
3	**पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सैक्टर उपक्रमों/निगमों** के कार्यकलापों के संबंध में संस्थाई रुप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
4	**निर्मुक्त आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों** और **लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों** को सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात आयु सीमा में ही समझा जायेगा चाहे उन्होने आयोग के समक्ष उपस्थित होने के समय आयु सीमा पार कर ली हो बशर्ते कि वे सेना में कमीशन ग्रहण के समय आयुसीमा की दृष्टि से पात्र थे।
5	**राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई (सब्स्टेन्टिव)** रुप से सेवारत व्यक्तियों के मामलों में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी तथा जहां पद के लिए न्यूनतम अर्हता डी.एम./एम.सीएच. अपेक्षित है, के पदों के लिए अधिकतम् आयु सीमा 45 वर्ष होगी।
6	राज्य सरकार आयोग से परामर्श लेकर अपवादीय मामलों में 5 वर्ष की छूट दे सकती है।

नोट –

(1) उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट को लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(2) ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ शासन से प्राप्त पदों के वर्गीकरण (Category wise)के अनुसार ही देय होगा अर्थात् अगर किसी वर्ग (Category)के लिए कोई पद आरक्षित नहीं होगा तो उस वर्ग के अभ्यर्थी को ऊपरी आयु सीमा में तत्सम्बन्धी छूट का लाभ देय नहीं होगा।

(3) राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 7/6/कार्मिक/ए–II/2008 दिनांक–23.09.2008 के क्रम में जारी अधिसूचना के अनुसार"जिस भर्ती की वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नही हुई हो और यदि कोई अभ्यर्थी उस वर्ष की आयु की दृष्टि से पात्र था, तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जावेगा, किन्तु यह छूट तीन वर्ष से अधिक नही दी जाएगी।"

पूर्व में बायोकेमिस्ट के पदों हेतु आयु की गणना दिनांक 01.01.1997 को/सहायक आचार्य बायोकेमिस्ट्री *के लिए दिनांक 01.01.2006 को/सहायक आचार्य* पैथौलोजी *के लिए दिनांक 01.01.2010 को/सहायक आचार्य* फिजिकल मेडिसन एवं रिहेबिलिटेशन *एवं* एण्डोक्रायोनोलॉजी *के लिए दिनांक 01.01.2011/सहायक आचार्य जनरल सर्जरी, वरिष्ठ प्रदर्शक पैथोलोजी एवं वरिष्ठ प्रदर्शक बायोकेमिस्ट्री के लिए दिनांक 01.01.2012 को तथा सहायक आचार्य नेत्र रोग एवं* नाक, कान, गला *के लिए दिनांक 01.01.2013 को आयु की गणना की गई थी। तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया था।* अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23–09–2008 के अनुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2015 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में क्रमशः **पद क्रम संख्या 1, 2, 3, 4 व 10 के लिए तीन वर्ष की छूट, पद क्रम संख्या 6 ,8 व 9 के लिए दो वर्ष की छूट तथा पद क्रम संख्या 5 एवं 7 के लिए एक वर्ष की छूट** देय होगी।

अन्य विवरण	
शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान	उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के **अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला** व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित **साक्षात्कार से पूर्व** शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा। **स्पष्टीकरणः**– उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे, जो आवेदक **आवेदन–पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक** पद की वांछित योग्यता की परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे।
चयन प्रक्रिया	अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। यदि विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होगी तो आयोग संवीक्षा परीक्षा आयोजित कर अभ्यर्थियों की संख्या यथोचित सीमा तक कम कर सकता है। संवीक्षा परीक्षा **अजमेर** में आयोजित किए जाने की संभावना है। आयोग अपने स्वविवेक से परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन भी कर सकता है। संवीक्षा परीक्षा तिथि की घोषणा यथासमय कर दी जाएगी।
संवीक्षा परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	यह संवीक्षा परीक्षा वस्तुनिष्ठ लिखित रूप में ली जायेगी। **सभी प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।** विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाईट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा।
आवेदन अवधि	**दिनांक 18–07–2014 से दिनांक 19–08–2014** रात्रि **12–00** बजे तक

(आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी। इस प्रकार संबंधित सेवा नियमों में यदि कोई संशोधन होता है, तो भर्ती/परीक्षा उसके अनुसार आयोजित की जाएगी, जिसके लिए यथासमय अधिसूचित कर दिया जाएगा।)

विशेष सूचना :– "यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 30 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क देकर Online/Offline संशोधन कर/करवा सकता है। आवेदन पत्र में संशोधन एवं विकलांग/विधवा के वर्ग में संशोधन के संबंध में आयोग की वेब–साईट पर उपलब्ध Instruction for Applicants में अभ्यर्थियों के लिए आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश के तहत आवेदन प्रक्रिया संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश के बिन्दु संख्या 7 'ऑन लाईन आवेदन संशोधन की प्रक्रिया' एवं 'Guidelines for Edit Application' का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें एवं उक्त निर्देशों में अंकित अंतिम दिनांक तक ही संशोधन स्वीकार्य होंगे इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।"

अन्य बिन्दु व सूचना :– परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर **दिनांक 01.01.14**को जारी **परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश** तथा **सम्बन्धित सेवा नियमों** का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त समय–समय पर जारी इस परीक्षा से संबद्ध सूचनाओं को आयोग की वेबसाइट **http://www.rpsc.rajasthan.gov.in** या **http://rpsconline.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा **दूरभाष सं.– 0145–5151212 एवं 5151200** पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(नरेश कुमार ठकराल)
सचिव

क्रमांक : संयुक्त विज्ञापन सं.– 01/भर्ती/2014–15/751 — **दिनांक : 15.07.2014**

प्रतिलिपिः– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर को आयोग का विस्तृत संयुक्त विज्ञापन संख्या – **01/2014–15** प्रेषित करते हुए राजस्थान रोजगार सन्देश, जयपुर के **नवीनतम संस्करण में केवल एक बार प्रकाशित कराने हेतु भेजा जाता है।**

उपसचिव